

भारत के कारागारों में मौतें

प्रलिस के लयः

भारत के कारागारों में मौतें, [कारागार सुधार पर सर्वोच्च नयायालय समतऱऱ](#), [राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो](#), वर्ष 2016 का मॉडल काराहर मैनुअल तथा वर्ष 2017 का मानसकऱऱ स्वास्थय देखभाल अधनऱऱयऱम

मेन्स के लयः

भारत के कारागारों में मौतें


[स्रोतः द हदऱऱ](#)

चर्चा में क्यॉं?

हाल ही में [कारागार सुधार पर सर्वोच्च नयायालय समतऱऱ](#) ने बताया कऱऱ भारतीय कैदऱऱयों कऱऱ **अप्राकृतकऱऱ मौतों** के प्रमुख कारणों में से एक **आत्महत्या** है ।

कारागार में होने वाली मौतों का वर्गीकरणः

- **राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो** (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशऱऱ कऱऱ जाने वाली **प्रज़ऱन स्टैटऱसऱकऱऱ इंडऱऱऱ** रऱऱऱरट के अनुसार कारागार में होने वाली मौतों को **प्राकृतकऱऱ** अथवा **अप्राकृतकऱऱ** के रूप में वर्गीकृत कऱऱऱ गया है ।
 - वर्ष 2021 में भारत में न्यायकऱऱ हरऱसत में कुल 2,116 कैदऱऱयों कऱऱ मौत हुई, जऱनऱमें से लगभग 90% मामले में मौतों को **प्राकृतकऱऱ मौत** के रूप में दर्ज कऱऱऱ गया ।
- बढ़ती उमर और बीमारऱऱयों **प्राकृतकऱऱ मृत्यु** का प्रमुख कारण हैं । इन बीमारऱऱयों को **हृदय रोग, एच.आई.वी., तपेदकऱऱ और कैंसर जैसी** अन्य बीमारऱऱयों में **उप-वर्गीकृत** कऱऱऱ गया है ।
 - कारागारों में कैदऱऱयों कऱऱ संख्या में वृद्धऱके साथ-साथ, दर्ज कऱऱ गई **प्राकृतकऱऱ मौतों कऱऱ संख्या वर्ष 2016 में 1,424 से बढ़कर 2021 में 1,879 हो गई** ।
- **अप्राकृतकऱऱ मौतों का उप-वर्गीकरण इस प्रकार हैः**
 - आत्महत्या (फाँसी लगाने, ज़हर देने, खुद को चोट पहुँचाने, नशीली दवाओं कऱऱ अधकऱऱ मात्रा लेने, वदऱऱतु का झटका लगने आदऱके कारण)
 - सह-कैदऱऱयों के कारण
 - गोली लगने से मौत
 - लापरवाही अथवा ज़्यादती के कारण मौत
 - आकस्मकऱऱ मौतें (भूकंप जैसे प्राकृतकऱऱ आपदा, सर्पदंश, डूबना, दुर्घटनावाश गरऱना, जलने से चोट, दवा/शराब का सेवन आदऱ) ।
 - सामान्य जनसंख्या में दर्ज कऱऱ गई आत्महत्या कऱऱ घटनाओं कऱऱ तुलना में **कैदऱऱयों में आत्महत्या कऱऱ दर** दोगुनी से भी अधकऱऱ पाई गई ।



- As per data provided by States/UTs.

Deaths of Prison Inmates due to illness during 2021

//

कारागार में होने वाली मौतों की जाँच प्रक्रिया:

- वर्ष 1993 के बाद से हरिसत में हुई मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर NCRB को दी जानी चाहिये, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजस्ट्रेट की पूछताछ की रिपोर्ट, या पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी रिपोर्ट भी दिया जाना अनिवार्य है।
- हरिसत में बलात्कार और मृत्यु के मामलों में [आपराधिक प्रक्रिया संहिता](#) के तहत कार्यकारी मजस्ट्रेट जाँच के अतिरिक्त अनिवार्य न्यायिक मजस्ट्रेट जाँच की भी आवश्यकता होती है।

जेल में कैदियों के मृत्यु की समस्या से निपटने हेतु प्रयास:

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 के एक फैसले में कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दायित्व को स्पष्ट किया, क्योंकि वे "दोहरी समस्या" से पीड़ित हैं:
 - "कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तरह चिकित्सा विशेषज्ञता तक पहुँच का लाभ नहीं मिलता है।
 - उनकी कैद की स्थितियों के कारण, कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- सरकारी प्रयास:
 - [वर्ष 2016 का मॉडल जेल मैनुअल](#) और [वर्ष 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम](#), कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को रेखांकित करता है।
 - इनमें [स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त नविश](#), मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, उन्हें बुनियादी और आपातकालीन देखभाल प्रदान करने हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं ऐसी घटनाओं को कम करने के लिये

आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

- आत्महत्या के बढ़ते मामलों के संदर्भ में **NHRC** ने **जून 2023** में राज्यों को सलाह जारी की, जिसमें बताया गया कि **आत्महत्याएँ चकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों समस्याओं के कारण होती हैं**।
 - NHRC ने "जेल कल्याण अधिकारियों, परवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चकित्सा कर्मचारियों" के पदों को भरने की सफारिश की।

जेल में होने वाली मौतों से संबंधित NHRC की सफारिशें:

- **आत्महत्या के प्रयासों को रोकना:**
 - कैदियों की चादरों और कंबलों की नयिमति जाँच और नगिरानी करने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वस्तुओं का उपयोग आत्महत्या के प्रयासों में नहीं किया जाता है।
- **कर्मचारियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण:**
 - जेल कर्मचारियों के बुनियादी प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता का एक घटक शामिल किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों को सूचित और जागरूक रखने के लिये समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को लागू करने की भी सफारिश की जाती है।
- **नयिमति अवलोकन और समर्थन:**
 - **कारा कर्मचारियों** द्वारा कैदियों की नयिमति नगिरानी आवश्यक है, साथ ही मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चकित्सा में प्रशिक्षित एक **कैदी 'मतिर'** का नियुक्तकरण, ज़रूरतमंद कैदियों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है।
- **गेटकीपर मॉडल कार्यान्वयन:**
 - कारागारों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के सुदृढीकरण के लिये **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा तैयार गेटकीपर मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।
 - इसमें आत्महत्या के जोखिम वाले **साथी कैदियों की पहचान करने के लिये सावधानीपूर्वक चयनित कैदियों को प्रशिक्षण** देना शामिल है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप और सहायता की सुविधा मिलती है।
- **व्यसन संबंधी समस्याओं का समाधान:**
 - कैदियों के बीच **नशे की लत से निपटने के उपायों** को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नशामुक्त विशेषज्ञों द्वारा नयिमति दौरे शामिल हैं।
- **जीवन-कौशल शिक्षा और गतिविधियाँ:**
 - कैदियों के लिये जीवन-कौशल-आधारित शिक्षा, **योग, खेल, शिल्प**, नाटक, संगीत, नृत्य एवं उपयुक्त आध्यात्मिक व वैकल्पिक धार्मिक निर्देश जैसी आकर्षक गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए।
 - ये गतिविधियाँ कैदियों की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करने और उनका समय रचनात्मक रूप से व्यतीत करने में मदद करती हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिये प्रतष्ठित **गैर सरकारी संगठनों (NGO)** के साथ सहयोग की मांग की जा सकती है।

कारागार सांख्यिकी से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- **कारागारों की संख्या:**
 - राष्ट्रीय स्तर पर कारागारों की कुल संख्या 1.0% की वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में 1,306 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,319 हो गई।
 - देश में सबसे अधिक कारागारों की संख्या राजस्थान (144) और उसके बाद तमिलनाडु (142), मध्य प्रदेश (131) में दर्ज की गई।
- **क्षमता:**
 - कारागारों की वास्तविक क्षमता वर्ष 2020 में 4,14,033 से बढ़कर वर्ष 2021 में 2.8% की वृद्धि के साथ 4,25,609 हो गई।
 - वर्ष 2021 में 1,319 कारागारों की कुल क्षमता 4,25,609 (लोग) में से केंद्रीय जेलों की क्षमता सबसे अधिक (1,93,536) थी, इसके बाद ज़िला कारागार और उप कारागार थे।
- **दोषी कैदी:**
 - दोषी कैदियों की संख्या वर्ष 2020 में **1,12,589 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,22,852 हो गई**, इस अवधि के दौरान 9.1% की वृद्धि हुई।
 - दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक दोषी कैदी केंद्रीय कारागारों में बंद थे, उसके बाद ज़िला और उप कारागारों में बंद थे।
- **वचाराधीन कैदी:**
 - वचाराधीन कैदियों की संख्या वर्ष 2020 में 3,71,848 से बढ़कर वर्ष 2021 में 4,27,165 हो गई, इस अवधि के दौरान 14.9% की वृद्धि हुई।
 - 31 दिसंबर, 2021 तक 4,27,165 वचाराधीन कैदियों में सर्वाधिक वचाराधीन कैदी ज़िला कारागारों में बंद थे, इसके बाद केंद्रीय और उप कारागारों में बंद थे।
- **बंदी:**
 - बंदियों की संख्या वर्ष 2020 में 3,590 से घटकर वर्ष 2021 में 3,470 (प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को) हो गई, इस अवधि के दौरान कुल 3.3% की कमी दर्ज की गई।
 - 31 दिसंबर, 2021 तक 3,470 बंदियों में से सर्वाधिक संख्या में बंदी केंद्रीय कारागारों में बंद थे, उसके बाद ज़िला और वशिव कारागारों में बंद थे।

आगे की राह:

- बदलती ज़रूरतों और चुनौतियों के अनुरूप नीतियों की नियमति समीक्षा तथा अद्यतन करना।
- कैदियों की बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिये **कारागार कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** में नविश की आवश्यकता है।
- कारागारों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं लत प्रबंधन को बढ़ाने के लिये सरकारी नकियों, गैर सरकारी संगठनों और **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों** के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- मानसिक स्वास्थ्य एवं लत से जुड़े कलंक को कम करने के लिये जागरूकता और समर्थन अभियानों को बढ़ावा देना, कारागार प्रणाली के अंदर अधिक सहानुभूतपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना।
- कार्यान्वयन उपायों की चल रही नगिरानी और मूल्यांकन द्वारा समर्थति, उभरते रुझानों तथा प्रभावी हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/deaths-in-india-s-prisons>

